वित्त मंत्रालय

डीआरआई ने गुजरात के गांधीनगर में 66वां स्थापना दिवस मनाया

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में डीआरआई और उसके अधिकारियों की पेशेवर उत्कृष्टता की सराहना की

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने संगठित समूहों की मिलीभगत को खत्म करने में डीआरआई की भूमिका की सराहना की

सीबीआईसी के अध्यक्ष ने 'भारत में तस्करी रिपोर्ट 2022-23' जारी की; प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम) के सफल आयोजन के लिए डीआरआई की सराहना की

डीआरआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 11,500 करोड़ रुपये की जब्ती से जुड़े 522 तस्करी के मामले दर्ज किए : महानिदेशक, डीआरआई

चार डीआरआई अधिकारियों को उनके अनुकरणीय साहसपूर्ण कार्यों हेतु 2023 के लिए "वीरता प्रशस्ति पत्र" प्रदान किया गया

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2023 7:56PM by PIB Delhi

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की प्रमुख तस्करी-विरोधी एजेंसी, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया।

डीआरआई स्थापना दिवस पर अपने संदेश में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोने, नशीले पदार्थों, सिगरेट और लुप्तप्राय जंगली वनस्पतियों और वन्य जीवों जैसे प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को रोकने में उनकी सराहनीय सेवा के लिए डीआरआई और उसके अधिकारियों की पेशेवर उत्कृष्टता की सराहना की। श्रीमती सीतारमण ने डीआरआई और उसके अधिकारियों के साहस, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों की भी सराहना करते हुए

भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की।

इस अवसर पर अपने संदेश में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने संगठित समूहों की सांठगांठ को खत्म करने और देश के कानून का अनुपालन करते हुए उन पर शिकंजा कसने के मामले में भी डीआरआई की सराहना की। श्री चौधरी ने कर चोरी और तस्करी से निपटने के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए डीआरआई के अधिकारियों को बधाई देते हूए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि डीआरआई देश के आर्थिक हितों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा।

सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने इस समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री राजीव तलवार, सदस्य (अनुपालन प्रबंधन), सीबीआईसी, श्रीमती वी. रामा मैथ्यू- सदस्य (आईटी, करदाता सेवाएँ और प्रौद्योगिकी), सीबीआईसी और प्रधान महानिदेशक, डीआरआई एवं श्री मोहन कुमार सिंह उपस्थित थे।

इस अवसर पर, सीबीआईसी के अध्यक्ष ने 'भारत में तस्करी रिपोर्ट 2022-23' जारी की। यह रिपोर्ट तस्करी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन संचालन और सहयोग के रुझानों का विश्लेषण करती है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने डीआरआई और उनके अधिकारियों को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने कार्य को पूर्ण करने और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने में उत्कृष्टता के साथ कार्य करने के लिए बधाई दी। श्री अग्रवाल ने भारत में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और योग्य कर्मियों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से फॉरेंसिक के संदर्भ में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने पर बल दिया।

तस्करों द्वारा अपनाई गई तस्करी की नई प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए, सीबीआईसी अध्यक्ष ने प्रशंसा करते हुए कहा कि डीआरआई ने तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण कौशल को बढ़ाया है।

श्री अग्रवाल ने *"नेटवर्क से लड़ने के लिए एक नेटवर्क की आवश्यकता है "* विषय पर डीआरआई द्वारा हाल ही में प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम) के सफल आयोजन की भी सराहना करते हुए कहा कि अंतर-एजेंसी सहयोग वैश्विक रूप से संगठित आपराधिक सिंडिकेट से निपटने में क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है।

अपने संबोधन में, सीबीआईसी के सदस्य (अनुपालन प्रबंधन) श्री राजीव तलवार ने आज देश में बेहतरीन कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए एक विशिष्ट रिकॉर्ड के साथ सफलतापूर्वक 66 वर्ष पूर्ण करने के लिए डीआरआई के सभी कर्मियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कामना की कि डीआरआई उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को हासिल करना जारी रखेगा।

गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, डीआरआई के प्रधान महानिदेशक, श्री मोहन कुमार सिंह ने पिछले वित्तीय वर्ष में डीआरआई के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए, श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान, तस्करी के 522 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कुल 11,500 करोड़ रुपये की जब्ती शामिल है। इसमें 1,300 किलोग्राम हेरोइन, 150 किलोग्राम कोकीन,

250 किलोग्राम मेथमफेटामाइन, 25 मीट्रिक टन गांजा और 1,450 किलोग्राम सोने की जब्ती भी शामिल है। इसके अलावा, इसमें से 4,500 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चोरी की भी जानकारी मिली। ऐसे चोरों द्वारा स्वेच्छा से 1,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। जांच को शीघ्र पूरा करने और समय पर अभियोजन शुरू करने की दिशा में, डीआरआई ने एक अभियान का संचालन किया और 944 मामलों में जांच पूरी करते हुए वर्ष 2022-23 में 375 मामलों में अभियोजन शुरू किया।

इस अवसर पर, संगठित तस्करी से निपटने में वीरता के अनुकरणीय कार्य के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2023 के लिए *"वीरता प्रशस्ति पत्र"* प्रदान किया गया*:*

1. श्री वज़ीम मुस्तफा, गुवाहाटी जोनल यूनिट के उप-निदेशक
2. श्री बाला मुरुगेसन आर, चेन्नई जोनल यूनिट के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी
3. श्री कामची आनंद के, चेन्नई जोनल यूनिट के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी
4. श्री अमन कुमार, दिल्ली जोनल यूनिट के खुफिया अधिकारी

इस अवसर पर डीआरआई के पूर्व डीजी और सीबीआईसी के पूर्व अध्यक्ष, श्री सुकुमार शंकर को उनकी *उत्कृष्ट सेवा* के लिए सम्मानित करते हुए डीआरआई को भी सम्मान दिया गया ।

इस अवसर पर, सीबीआईसी के अध्यक्ष ने डीआरआई के अधिकारियों द्वारा लिखे गए लेख और कविताओं से संबंधित हिंदी प्रकाशन *"राजस्व प्रहरी"* के 12वें संस्करण का भी विमोचन किया गया।

उद्घाटन समारोह का समापन डीआरआई, अहमदाबाद जोनल यूनिट के अपर महानिदेशक श्री समीर बजाज के "धन्यवाद प्रस्ताव" के साथ हुआ।

समारोह में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और पूर्व-डीआरआई अधिकारियों सहित सीबीआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 200 से

अधिक प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी की और इसका सीधा प्रसारण भी किया गया।

***

एमजी/एआर/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 1982590) आगंतुक पटल : 205

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Telugu